

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/राज/सी/व्या/52/07/3008

भोपाल,दिनांक 10/7/07


//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश दिनांक 9.5.07, 10.5.07 एवं 18.5.07 द्वारा पूर्व में प्रभारी प्राचार्य हाईस्कूल एवं प्रभारी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थ व्याख्याताओं की पदस्थापना विषयमान से रिक्त व्याख्याता के पद पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 4 में की गई थी उक्त आदेश में (स्पेसिफिक) आंशिक संशोधन करते हुये उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 5 में अंकित संस्था में पदस्थापना की जाती है :-

स. क्र.	व्याख्याता का नाम	विषय	पूर्व पदांकित संस्था	संशोधित पदस्थापना
1.	2	3	4	5
1.	श्री वनमाली प्रसाद द्विवेदी	जीवविज्ञान	शा.उ.मा.वि. रतनगवा रीवा	शा.बालक उ.मा.वि. हनुमना रीवा
2.	श्री महिपाल सिंह	भूगोल	शा.उ.मा.वि. बादरा सीधी	शा.उ.मा.वि. ताला जिला सीधी
3.	श्री एच.एस. ठाकुर	हिन्दी	शा.उ.मा.वि. पटेरा दमोह	शा.उ.मा.वि. दमोह
4.	श्री एस.के. दुबे	भौतिकी	शा.उ.मा.वि. बडगांव कटनी	शा.नेताजी सु.उ.मा.वि. सिवनी
5.	श्री ओ.पी.त्रिपाठी	जीवविज्ञान	शा.कन्या उ.मा.वि. गढ़ीमल्हरा छतरपुर	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़
6.	श्री अवधूत काले	गणित	शा.उ.मा.वि. टिमरनी जिला हरदा	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी छिन्दवाड़ा
7.	श्री नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	अंग्रेजी	शा.उ.मा.वि. अमदरा सतना	शा.उ.मा.वि. रैगांव जिला सतना
8.	श्री साधव प्रसाद पाण्डेय	भूगोल	शा.क.उ.मा.वि. रामपुरबघेलान सतना	शा.कन्या उ.मा.वि. धवरी जिला सतना
9.	श्री आर.एस. बघेल	हिन्दी	शा.क.उ.मा.वि. मुलतई जिला बैतूल	शा.उ.मा.वि. पिपलानारायणवार सौंसर छिन्दवाड़ा

2/ उपरोक्त आदेश के सरल क्रमांक 5 एवं 6 पर अंकित व्याख्याताओं का वेतन आहरण कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी में योजना अधिकारी के रिक्त पद से किया जाए।

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"



सहायक संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

भोपाल,दिनांक 10/7/07

पृष्ठा. क्रमांक/स्था.2/राज/सी/व्या/52/07/3009
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक,मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा, म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. निज सहायक,मान.राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा,म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल।

3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
4. कलेक्टर जिला रीवा / सीधी / दमोह / कटनी / सिवनी / छतरपुर / टीकमगढ / हरदा / छिन्दवाडा / सतना / बैतूल म.प्र.
5. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण सभागीय कार्यालय जबलपुर / रीवा / भोपाल / सागर।
6. जिला कौषालय अधिकारी जिला रीवा / सीधी / दमोह / कटनी / सिवनी / छतरपुर / टीकमगढ / हरदा / छिन्दवाडा / सतना / बैतूल म.प्र.
9. जिला शिक्षा अधिकारी रीवा / सीधी / दमोह / कटनी / सिवनी / छतरपुर / टीकमगढ / हरदा / छिन्दवाडा / सतना / बैतूल म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवाअभिलेख से यह पुष्टि कर ले की स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित संस्था प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संबंधित संस्था प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधितों की ओर सूचनार्थ ।


 सहायक संचालक
 लोक शिक्षण मध्यप्रदेश